



भारत सरकार
वित्त मंत्रालयराजस्व विभाग,
आयकर आयुक्त-III कार्यालय,
आयकर भवनऋषि नगर „लुधियाना
टैलीफैक्स- 0161-2303520

Govt of India
Min. of Finance,Deptt. of Revenue
O/o Commissioner of Income Tax-III,
Aayakar Bhawan, Rishi Nagar, Ludhiana
Telefax- 0161-2303520

सं.आ.आ.-3/लुधि./न्या.शा./12ए/368/2014-15/ (०४)

दिनांक 12.08.2014

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12-ए(1)(बी)(i) के अधीन आदेश

श्री गुरु हरगोबिन्द उजागर हरी ट्रस्ट, गावं/डाकघर, रिधया खुर्द, तहसील जगराऊँ जिला लुधियाना ट्रस्ट, जिसे दिनांक 30.07.1934 को गठित किया गया था द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 ए के अंतर्गत पंजीकरण के लिए दिनांक 28.03.2014 को निर्धारित फार्म नं. 10 ए में विहित ढंग से आवेदन किया गया।

आवेदन को इस कार्यालय में रखे गए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए(1)(ए) के अंतर्गत आवेदनों के रजिस्टर में क्र.सं. 368 पर दर्ज किया गया। इस ट्रस्ट को निर्धारण वर्ष 2014-15 से चेरिटेबल ट्रस्ट के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन पंजीकृत(रजिस्टर्ड) किया जाता है:-

- संस्था के ज्ञापन अथवा ट्रस्ट के नियम एवं विनियम में संशोधन यदि कोई हो तो तत्काल इस कार्यालय को सूचित किया जाए।
- ट्रस्ट अपनी आय का उपयोग एवं उसका संचय, अधिनियम की धारा 11 में निर्दिष्ट किए अनुसार, पूर्ण रूप से तथा विशेष रूप से उसी प्रयोजन के लिए करेगी जिसके लिए उसकी स्थापना की गई है।
- ट्रस्ट किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए अपनी निधियों का डिपोजिट अथवा निवेश आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 की उप धारा 5 में निर्दिष्ट स्वरूप एवं पद्धतियों (forms and modes) के अनुसार ही करेगी।
- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12-ए(1)(बी) (i) के अधीन पंजीकरण से ट्रस्ट की आय को स्वयंमेव छूट नहीं मिल जाती तथा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12-ए(1)(बी) (i) के अधीन पंजीकरण दानकर्ताओं को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी के अंतर्गत किसी प्रकार की छूट अथवा कटौती की पुष्टि नहीं करता। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए ट्रस्ट को संबंधित अधिकारक्षेत्र रखने वाले आयकर आयुक्त के पास विहित फार्म में अलग से आवेदन देना होगा।
- साथ ही यह प्रमाण-पत्र ट्रस्ट से संबंधित निवेशों आदि के संबंध में स्रोत पर कर कटौती न करने के दावे के आधार के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। स्रोत पर कर की कटौती न करने के दावे के लिए निर्धारण अधिकारी के पास विहित फार्म में अलग से आवेदन देना होगा।
- निर्धारण अधिकारी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11, 12 एवं 13 में संदर्भित आवेदक ट्रस्ट की अधीक्षा की करदेयता को निश्चित करने तथा ट्रस्ट की गतिविधियों की वास्तविकता सत्यापित करने के लिए स्वतंत्र है।

Govt. of India
Regd. No. 353/91


Approv. of India
Regd. No. 353/91
VALID FOR EMBASSY &
ALL FOREIGN COUNTRIES

7. निधियों को प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से आय की विवरणी फाइल करनी होगी। विचाराधीन प्रत्येक ऐसे वर्ष के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11,12 तथा 13 अथवा किसी अन्य प्रावधानों को लागू करते हुए मामले के गुण-दोषों के आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इसलिए पंजीकरण

True Copy Attested

BIKRAM SHARMA
NOTARY PUBLIC
JAGRAON (Ludhiana)

24 FEB 2025



के लाभ की उपलब्धता पूर्णरूप से आयकर नियमावली 1962 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों, विशेष रूप से उन प्रावधानों जिनके अनुसार आय को "छूट प्राप्त आय" के रूप में मान्य किया गया है तथा निधियों के जमा करने के तरीकों/निवेश/उपयोग से संबंधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए दी जाएगी। आयकर नियमावली 1962 के साथ पठित, आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के विपरीत द्रस्ट संचालित करने से संबंधित वर्तमान या पश्चात्यर्ती कोई भी नियम और उपनियम एवं विधि या उपविधियां इस आदेश को निष्प्रभावी कर देंगे।

8. द्रस्ट नियमित रूप से लेखा-खाते रखेगी और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए(1)(बी) के उपबंधों के अनुसार इनका ऑडिट करवाएगी।
9. यदि अधिष्ठय में इस कार्यालय को यह जानकारी मिलती है कि प्रमाणपत्र तथ्यों के गलत प्रस्तुतिकरण अथवा गलत सूचना के माध्यम से लिया गया है तो इसे रद्द किया जा सकता है।
10. धारा 12ए(3) के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस धारा को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जाता है-

"Where a trust /society or an institution has been granted registration under clause (b) of sub-section (1) and subsequently the Commissioner is satisfied that the activities of such trust or institution are not genuine or are not being carried out in accordance with the objects of the trust or institution, as the case may be, he shall pass an order in writing cancelling the registration of such trust or institution:

Provided that no order under this sub-section shall be passed unless such trust or institution has been given a reasonable opportunity of being heard."


हस्ताक्षर

(रमन कुमार गोयल)

आयकर आयुक्त- III, लुधियाना

प्रति प्रेषित है:-

1. श्री गुरु हरगोविन्द उजागर हरी द्रस्ट, गावं/डाकघर, सिध्वा खुर्द, तहसील जगराओं जिला लुधियाना।
2. आयकर आयुक्त 1 एवं 2, लुधियाना।
3. अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त, मोगा रेज, मोगा।
4. आयकर अधिकारी, वार्ड-IV, जगराओं।



Govt. of India
Regd. No. 353/91

25.2.2024
(सरोज बाला)

आयकर अधिकारी (मुख्या.) (न्या.)
आयकर आयुक्त -III कार्यालय



1146 Copy Allotment
BIKRAM SHARMA
NOTARY PUBLIC
JAGRAON (LUDHIANA)

24 FEB 2025